संख्या-22/2017/78बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2017

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के अधीन नये डगवेल का निर्माण परियोजना की वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या- 2374/35-आ-1/2010, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 द्वारा रू. 250.00 करोड़(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतारू.125.00 करोड. और मनरेगा रू.125.00 करोड.) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 10000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 432.63 लाख का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2011-12 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 12067.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2283.25 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2012-13 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 4784.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 1967.47 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई।वर्ष 2013-14 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 2816.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 2106.60 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई।वर्ष 2014-15 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 4945.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 1890.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 1890.00 लाख की पूर्ण धनराशि व्यय की गई। नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा परियोजना के चालू कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता की धनराशि को रू. 161.12 करोड अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2016-17 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 2215.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 1350.11 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि रू. 864.89 लाख समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2016-17 तक परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष रू. 14975.06 लाख की धनराशि व्यय हुई है। वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-12/2017/51बीपी/35-1-2017, दिनांक 06 जून, 2017 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 3.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। एतद् द्वारा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा इंगित कुल आवश्यकता रू. 864.89 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में अवमुक्त की गई रू. 300.00 लाख को घटाने के बाद अवशेष आवश्यकता की धनराशि रू 564.89 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(पॉच करोड चौसठलाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्यों हेतु विभागीय आवश्यकता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है।

3- कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अनुमोदित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-20-नये डगवेल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 22/2017/78बीपी(1)/35-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग।
5 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6 मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7 जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8 मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 कोषाधिकारी, झांसी /ललितपुर/ जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
12-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(देशराज सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in